

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरेश कुमार सुमन डुमली खुर्द, झुंझुनू	25.11.69	01.07.95 व.अ.	डीपीसी 09-10	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-15
2	पंकज कुमार सादुलशहर, गंगानगर	15.08.75	01.07.97 व.अ.	डीपीसी 10-11	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-17
3	देवी शंकर वर्मा खजुरी, भीलवाड़ा	15.05.71	01.07.97 व.अ.	डीपीसी 11-12	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-17
4	बलवीर सिंह नेहरा दोरासर, झुंझुनू	25.07.64	16.09.97 व.अ.	डीपीसी 13-14	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	16-09-17
5	पन्ना लाल सैनी बांदीकुई, दौसा	09.01.70	01.07.97 व.अ.	डीपीसी 12-13	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-17

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक 31/01/18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज0वि0/एसीपी/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.....


02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-1/II).....

03- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ

04- संबंधित संस्था प्रधान राजमावि

05- संबंधित कार्मिक

06- निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

---: कार्यालय आदेश ---

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती

क्र.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिवभगवान गोरा प्रधानाचार्य, राउमावि, रहनावा माधोपुर (सीकर)	17.07.66	14.08.95 व्याख्याता	13.08.15 20 वर्ष	14.08.15 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-
2.	कृपालसिंह, प्रधानाचार्य, राउमावि, हिरनावाली (श्रीगंगानगर)	18.3.71	04.12.96 व्याख्याता	03.12.16 20 वर्ष	04.12.16 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-
3.	धर्मपाल प्रधानाचार्य, राउमावि, श्योराटाडा (हनुमानगढ़)	07.09.59	19.06.96 एसडीआई	18.06.16 20 वर्ष	19.06.16 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-


उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। न निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


(नथमल डिंडेल)

आई.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्र.शिविरा-मा/संस्था/ए-2-5-7/एसीपी/2016-17/
मिलिपे निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
संयुक्त संस्था प्रधान
संबन्धित अधिकारी
रिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग

दिनांक: 01.02.2018


संयुक्त निदेशक(कामिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।